

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 1225/नक्शा/नि0वि0/जि0पं0/2016-2017

दिनांक 23 फरवरी, 2017

मेसर्स समर्पण कालेज आफ फार्मसी अन्तर्गत
चन्द्रावती फाउण्डेशन
ग्राम गोयला
विकास खण्ड- बख्शी का तालाब
तहसील-बख्शी का तालाब
जनपद लखनऊ।




आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा गोयला विकास खण्ड बख्शी का तालाब तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 1056, 1056स, 1062 में व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य हेतु कुल कवर्ड एरियां 729.98 वर्गमीटर में मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

- 1-प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
- 2-जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
- 3-मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावत् लागू रहेंगे।
- 4-प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 729.98 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।
- 5-प्रतिबन्ध रहेगा कि मुख्य: अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6-प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नवशें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।


अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत लखनऊ
जिला पंचायत लखनऊ